



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता।



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक...1141./15सी4

E-Mail-eeppwdchakrata10@rediffmail.com

दिनांक 03/08/2022

सेवा में,

✓ प्रभागीय वनधिकारी
वन प्रभाग चकराता।

विषय:- टी0एस0पी0 के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-90/2019 के अन्तर्गत जनपद-देहरादून के विकासखण्ड व विधानसभा क्षेत्र चकराता के तहसील त्यूनी में डांगूठा से मुण्डाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। [ED-MO-FP/UK/ROAD/155024/2022 DT 30-04-2022]

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक:138/12-1 चकराता, दिनांक 12.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि मार्ग का वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 30.04.2022 को ऑनलाईन ऑपलोड कर दिया गया था। परन्तु दिनांक 13.07.2022 को प्रस्ताव खण्ड स्तर के पास कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है जबकि प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक:138/12-1 चकराता दिनांक 12.07.2022 द्वारा वन संरक्षक नवम् वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित किया गया था, कि प्रस्तावित मार्ग के संमरक्षण में देवदार, बॉज, थुनेर, चिरापता मार्ग प्रजाति के वृक्ष हैं। वनों के संरक्षण के हित में मार्ग का निर्माण करना उचित नहीं रहेगा। प्रकरण पर आपके द्वारा वन संरक्षक महोदय से दिशा निर्देश देने या प्रकरण को उच्च स्तर को भी अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है वन संरक्षक महोदय के दिशा निर्देशों के पश्चात ही खण्ड स्तर पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

03.08.2022
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता।